Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ब्यावर में सहायक अभियंता प्रदीप कुमार 15,000/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 16 मार्च 2026, सोमवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की राजसमंद इकाई द्वारा आज एक सफल ट्रैप कार्यवाही करते हुए **प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता, पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर (अतिरिक्त चार्ज, सहायक अभियंता, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, खण्ड रायपुर)** को 15,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी को एक शिकायत इस आशय की मिली की आरोपी प्रदीप कुमार द्वारा परिवादी के लंबित बिलों की मेजरमेंट बुक (MB) भरने की एवज में 21,000 रुपये रिश्वत की मांगकर परेशान किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण में यह भी सामने आया कि मनीष मीणा, सीडीपीओ बदनोर (अतिरिक्त चार्ज, सीडीपीओ रायपुर, जिला ब्यावर) द्वारा भी परिवादी के बिल पास करने की एवज में 2,30,000/- रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी तथा 1,80,000/- रुपये लेने पर सहमति जताई गई थी। परन्तु उपरोक्त कार्यवाही होने पर मनीष मीणा को ट्रैप कार्यवाही की भनक लगने से अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पाई।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण** के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रदीप कुमार को परिवादी से 15,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।